

‘रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के काव्य में राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता चेतना’

वन्दना, शोधार्थी, हिन्दी विभाग, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

डॉ ब्रजलता शर्मा, ऐसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

सार

वास्तव में राष्ट्र एक समूहवाची शब्द है और राष्ट्र के इस समूह को सामान्यतः जो नाम दिया जाता है वह है जन या जनता, जो कि कृत्रिम नहीं, अपितु जीवन सत्ता है, जो स्वयं विकसित होकर पुष्ट तथा बलशाली होती है एवं संगठन का निर्माण करती है। संगठन का आधार प्रेम है और यही आपसी प्रेमभाव जनता रूपी समूह तथा राष्ट्र के मध्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। राष्ट्र की उत्पत्ति एवं उसका निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो स्वतः सम्पन्न होती है। सृष्टि द्वारा निर्धारित जीवनोद्देश्यों को जब तक राष्ट्र निभाता है, तब तक उसका अस्तित्व रहता है। विश्व के अनेक राष्ट्रों का यही विकास क्रम है। एक अनवरत प्रक्रिया में पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी विशेष प्रकृति को लेकर उत्पन्न होने वाली जनता की मूल प्रकृति ही उसका जीवनाधार बनती है। और अपनी मूल प्रकृति के पालन-पोषण हेतु वह जनता किसी भू-भाग से संबंधित होती है तथा उस भूखण्ड के साथ उसका संबंध माता तथा संतान की भाँति रहता है। अपनी जीवनाधार मूल प्रकृति के समस्त पोषक तत्व उसे इसी भूमि से प्राप्त होते हैं और उसकी यही मातृभूमि उसका भली-भाँति पालन-पोषण करती है। उस स्थिति में वह भूखण्ड, जिस पर हमने जन्म लिया, वह केवल एक भू-भाग न होकर, एक जीवन्त मातृ-शक्ति के रूप में उसके समक्ष उपस्थित रहता है, ठीक इसी प्रकार संतान रूपी जनता अथवा मानव-समाज की स्वतंत्र जीवन्त शक्ति होते हुये भी वह मातृभूमि के अभाव में प्रकट नहीं हो सकती। अतः जन अथवा जनता तथा जन्मभूमि, दोनों एक-दूसरे की सम्पूर्णता हैं।

प्रमुख शब्द : राष्ट्रीय चेतना, समूहवाची शब्द, पालन-पोषण, विशेष प्रकृति, उत्पत्ति, संगठन, राष्ट्रीयता

परिचय

राष्ट्र : परिभाषा एवं प्रकार

राष्ट्रीय चेतना से व्यापक अर्थ का बोध होता है जिसमें राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा, राष्ट्र का गौरव-गान, राष्ट्र का परिवेश, राष्ट्र का उन्मेष और राष्ट्र के प्रति उस देश के नागरिकों की समग्र सोच और अनुभूति समाहित होती है। कतिपय राष्ट्रवादी चिंतक राष्ट्रीय चेतना का अर्थ संकीर्ण सोच के अंतर्गत करते हैं। इनके अनुसार राष्ट्रीय चेतना केवल वह है जिसमें राष्ट्र की गौरव गाथा और वीरता के भाव भरे हैं। यह भावना

राष्ट्रीयता को संकीर्ण करने का प्रयास मात्र है।

राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। 'राष्ट्र' शब्द का प्राचीन उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में मंत्रकार कहता है कि— आत्मज्ञानियों ने विश्व कल्याणार्थ सृष्टि के प्रारंभ में ही दीक्षा ली और तप किया। इससे राष्ट्र राष्ट्र बना और राष्ट्रीय बल तथा ओज प्रकट हुए। अतः समस्त बुधजन इस राष्ट्र की सेवा करें, इसे नमन करें :-

“भद्रं इच्छन् ऋषयः स्वर्विदः। तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे।

ततो राष्ट्रं बलं अजश्च जातम्। तदस्मै देवाउपसं नमस्तु।।”

देश, राज्य और राष्ट्र शब्दों में मूलभूत अंतर है। इनके अंग्रेजी रूपान्तर क्रमशः Country, State और Nation हैं। इनके सटीक और सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ. श्रद्धा सक्सेना ने अपने एक आलेख में उल्लेख किया है कि— 'देश' भौगोलिक अवधारणा है।, 'राज्य' राजनैतिक अवधारणा है और राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से जितना अधिक जुड़ा होता है, वह उतना ही राष्ट्रीय होता है। भाषा, साहित्य, पर्व, त्यौहार, रीतिरिवाज, परम्पराएं, वेषभूषा, खान-पान — यही संस्कृति के अंग-प्रत्यंग हैं। इनकी समृद्धि, इनका सम्मान तथा इनका संरक्षण— राष्ट्रीयता की पहचान है।” प्रख्यात लेखक श्री श्रीधर पराड़कर भी मानते हैं कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। वे लिखते हैं कि— “हिन्दुस्तान में राष्ट्र व राज्य अलग-अलग माने गए हैं। राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई होने के कारण एक है जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कई हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से राज्य अलग-अलग होते हुए भी सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्र एक रह सकता है। तभी तो हिन्दुस्तान में अलग-अलग राज्य थे, फिर भी सदैव से आसेतु हिमालय एक राष्ट्र के रूप में जाना गया।”

राष्ट्रीयता के दो रूप हैं, राजसत्ताजन्य संकीर्ण राष्ट्रीयता और संस्कृतिजन्य विशद राष्ट्रीयता। राजसत्ताजन्य संकीर्ण राष्ट्रीयता पाश्चात्य चिन्तन की देन है। संस्कृतिजन्य राष्ट्रीयता भारतीय चिन्तन की देन है। वह राष्ट्रीय जागरण जिसके दशकों लम्बे प्रयास के परिणामस्वरूप यह मूलभूत परिवर्तन आया उस सामाजिक चेतना का वामपंथियों, इस विचार से प्रेरित मीडिया तथा उदारवादी प्रबुद्ध वर्ग ने 'राष्ट्रवादी' कहकर निरंतर विरोध किया है। वास्तव में यह 'राष्ट्रीय' आंदोलन है 'राष्ट्रवादी' नहीं। ना 'राष्ट्रवाद' शब्द भारतीय है और ना ही उसकी अवधारणा। वह पश्चिम के राज्याधारित राष्ट्र (नेशन-स्टेट) से उत्पन्न हुआ है। इस पश्चिम के 'राष्ट्रवाद' ने दुनिया को दो विश्वयुद्ध दिए हैं। वहां का 'राष्ट्रवाद' पूंजीवाद की देन है। और यह सुपर-राष्ट्रवाद (सुपर-नेशनलिज्म) साम्यवाद की श्रेणी में आता है। रूस ने अपने साम्यवादी विचारों को, बिना

प्रदीर्घ अनुभव लिए, मध्य एशिया और पूर्व यूरोप के देशों में कैसे ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया यह सर्वविदित है। उसी तरह चीन अपनी विस्तारवादी वृत्ति से हांगकांग और दक्षिण एशिया के देशों पर कैसे ज़बरदस्ती कर चीनी साम्राज्यवाद का परिचय दे रहा है, यह विश्व पर उजागर हो चुका है।

आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना पश्चिम के राष्ट्रवाद से प्रारंभिक प्रेरणा ग्रहणकर, भारत के सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में एक विशेष आदर्शवादी रूप धारण कर विकसित हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक महान जीवन-दृष्टाओं के कारण जो एक सांस्कृतिक नवोत्थान की वृहद् प्रेरणा देश के मानस को मिली थी जिससे अपने अतीत के गौरव के प्रति लोकमन उद्बुद्ध हो सका। उसके प्रकाश में हमारी राष्ट्रीय भावना ने एक अत्यंत व्यापक, संस्कृत तथा मानवतावादी रूप ग्रहण किया। महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आंदोलन तथा विश्व मंगलमय मौलिक रूप ने देश के जन-मानस को एक व्यापक और भौमिक सांस्कृतिक प्रेरणा दी। इसी विराट राष्ट्रवादी मानवतावादी भावना ने हमारे प्राचीनतम सांस्कृतिक स्रोतों को युग के अनुरूप नवीन रूप देकर भारतीय साहित्य में वाणी पाई है।”

राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्राचीन और अर्वाचीन स्वरूप को उद्घाटित करते हुए डॉ. लखनलाल खरे ने लिखा है कि— “राष्ट्र और राष्ट्रीयता का स्वरूप समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। जो देश कभी अखण्ड आर्यावर्त था, वह काल के प्रवाह से जनपदों, महाजनपदों, गणराज्यों से होता हुआ राज्यों और रियासतों में विभक्त होकर खण्ड-खण्ड हो गया। यद्यपि आज देश ने अपना अखण्ड स्वरूप कांटे की कसक के साथ पुनः प्राप्त कर लिया है। पर इसके टुकड़े-टुकड़े धूप की ताप का मापन करना समीचीन होगा। तत्समय में राष्ट्र का अर्थ अखण्ड भारत नहीं, अपितु राजाओं के राज्य की अपनी-अपनी सीमाओं से था और राजा या राज सिंहासन के प्रति निष्ठा व्यक्त करना ही राष्ट्रीयता की परिभाषा थी। भारतीय इतिहास के आदि और मध्यकाल की राष्ट्रीय चेतना का विस्तार उन्मुक्त गगन-सा न था, संकुचित परिधि तक उसकी व्याप्ति थी। आज उसका विस्तार नीले आसमान सा असीम है।”

राष्ट्रीयता को और स्पष्ट करते हुए डॉ. खरे आगे लिखते हैं कि— “राष्ट्रीयता से सीधा-सीधा तात्पर्य राष्ट्र प्रेम से है। राष्ट्रीयता से मात्र राष्ट्र की माटी और राष्ट्र की सीमाओं का ही बोध नहीं होता है, उस देश की संस्कृति, सभ्यता, और गौरव काल का ज्ञान भी होता है।”

राष्ट्र एक स्थायी सत्य है और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य जन्म लेता है। राज्य की आवश्यकता तब तक होती है, जब राष्ट्र के लोगों में कोई विकृति उत्पन्न हो जाये और जिसके कारण उत्पन्न समस्याओं

के निस्तारण हेतु राज्य विद्यमान हो। समाज में किसी जटिलता के उपस्थित होने की स्थिति में भी सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने हेतु राज्य की आवश्यकता होती है। निर्बल, असहाय तथा निर्धन वर्ग का लाभ शक्ति तथा साधन-सम्पन्न धनी वर्ग न उठा सके एवं सभी न्याय की सीमाओं में रहकर सरलता तथा सुगमतापूर्वक जीवन यापन कर सकें, इसके लिये राज्य की आवश्यकता है। विश्व के अन्य राज्यों अथवा देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुए बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान का कार्य भी राज्य का ही उत्तरदायित्व है। "इसके लिये राज्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरणार्थ— जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वास्तव में वह राष्ट्रों का संघ नहीं, राज्यों का संघ है। राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ राज्य उपस्थित हैं।"

राष्ट्रीयता : अवधारणा एवं विस्तार

आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद — भारत का साक्षात्कार जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों से हुआ तब किसी को यह नहीं मालूम था कि यहाँ से उपनिवेशवाद का नया अध्याय लिखा जाने वाला है। भारत के राष्ट्रवाद पर यह आघात था— देश गुलाम होने जा रहा है। उसकी संपूर्ण पहचान समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल उपनिवेश है— ब्रिटिश उपनिवेश जो कभी सोने की चिड़िया था वह मात्र गुलाम है। पश्चिम के अपने मानदण्डों के अनुसार उन्होंने भारत को एक राष्ट्र ही मानने से इंकार कर दिया। तुर्क, अफगान और मुगल तो भारत में आकर यहीं बस गये थे। किन्तु अंग्रेज यहाँ बसने नहीं शोषण करने आये थे उन्होंने भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि का साधन बनाया था। भारत को पराधीनता का दंश झेलना पड़ा। इसका कारण था राष्ट्रीयता, देश प्रेम का अभाव, क्षेत्रीयता का बढ़ना, अंग्रेजों की चतुराई और धूर्तता। इसका शिकार भी भारतीय इसी कारण बने कि वे आपस में लड़े मराठे, राजपूत, सिक्ख, जाट मुगल, बंगाल, हैदराबाद यदि एकता होती तो पराधीनता न होती।

अंग्रेजी राजनैतिक सत्ता की स्थापना के साथ-साथ आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव तथा भारतीयों के प्रति घृणा भारतीयों का अपने ही देश में गुलाम बन जाना, तिरस्कृत होना, इसने जिस प्रतिक्रिया को ब्रिटिश विरोधी भावना को जन्म दिया वह राष्ट्रवादी भावना थी। जब भारतीयों को अपने ही देश में न्यायोचित अधिकारों से वंचित होना पड़ा और उनका सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होने लगा, तब ब्रिटिश शासन के विदेशीयन के विरुद्ध राष्ट्रवाद जन्मा। यह क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने पश्चिमी ज्ञान ने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में स्वतंत्रता समानता, राष्ट्रीयता स्वशासन जैसे पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से साक्षात्कार कराया। इस दृष्टि से देखे तो भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकाल में

राष्ट्रवाद एक प्रतिक्रिया है जो जिससे उत्पन्न हुई उसी के विरुद्ध खड़ी हुई। क्रिया की यह प्रतिक्रिया विविध रूपों में प्रस्फुटित हुई और पूरे देश में इसका प्रभाव परिलक्षित हुआ। यह प्रभाव जैसा सन् 1857 में था, वैसा ही उसके पश्चात्।

राष्ट्रवाद का सैद्धान्तिक पक्ष

हंस कोहान (Hans Kauhan) नामक विद्वान ने राष्ट्रवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है— “ राष्ट्रवाद एक विचार है, एक विचारशक्ति है जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को नए विचारों और मनोभावों से भर देती है और उसे अपनी चेतना को संगठित क्रिया के कार्यों में परिवर्तित करने की प्रेरणा देती है।”

डॉ. गार्नर ने भी राष्ट्रवाद को इस प्रकार कहा— “आधुनिक राष्ट्रवाद की यह मुख्य विशेषता है जो लोग एक राष्ट्रीयता में संगठित है वह उसी राष्ट्र में संगठित कर दिये जाते हैं”

राष्ट्रवाद के गुण

1. राष्ट्रवाद के द्वारा समाज में एकता स्थापित होती है।
2. देश के प्रति त्याग की भावना उत्पन्न होती है।
3. इसी से आर्थिक विकास संभव है।
4. राजनीतिक संकट का सामना आसानी से किया जा सकता है।
5. इसके द्वारा अतिरिक्त कलह झगड़े समाप्त कर लोगों का ध्यान बड़ी समस्याओं की तरफ लग जाता है।

वर्तमान राष्ट्रवाद के नए आयाम

आज राष्ट्रवाद के नाम पर नए प्रयोग हो रहे हैं। राष्ट्रवाद के सैद्धान्तिक पक्ष में हमने देखा कि किस प्रकार एक आदर्श राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। परन्तु आज हमारे देश में राष्ट्रवाद के मायने बदलते जा रहे हैं। इंटरनेट के आने से एक नई क्रांति आ गयी है।

वर्तमान में राष्ट्रवाद की जो अर्वाचीन अवधारणा है, उसे 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में दी गयी परिभाषा के आधार पर कुछ यूँ समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक मनोदशा है, जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम एवं अनुराग का गहनतम अनुभव करता है। किंतु समकालीन परिप्रेक्ष्य में आज यह परिभाषा संकुचित— सी प्रतीत होती है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम, भक्ति और अनुराग की सघन अनुभूति राष्ट्रभक्ति तो हो सकती है परन्तु परिपूर्ण अर्थों में राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रभक्ति का परिचालन हृदयगत भावना से होता है और राष्ट्रवाद का मस्तिष्क की प्रखर तार्किकता एवं वैचारिकता से। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि छह देशों

के 41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा है और 27 देशों से उसका विवाद चल रहा है। इसीलिए विश्व के अधिकतर देश चीन के साम्राज्यवाद या सुपर-राष्ट्रवाद के विरुद्ध लामबंद होते दिख रहे हैं। भारतीय विचार में 'राष्ट्रवाद' नहीं 'राष्ट्रीयता' का भाव है। हम 'राष्ट्रवादी' नहीं 'राष्ट्रीय' हैं। इसी कारण संघ का नाम 'राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ' है। हमें कोई 'राष्ट्रवाद' नहीं लाना है। भारत की राष्ट्र की अवधारणा भारतीय जीवन दृष्टि की अवधारणा भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित है। यहां 'राज्य' नहीं, लोक (पीपुल) को राष्ट्र की संज्ञा है। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, अनेक जातियों के नाम से जाने जाने वाले, विविध देवी-देवताओं की उपासना करने वाले भारत के सभी लोग इस अध्यात्माधारित, एकात्म, सर्वांगीण जीवन दृष्टि को अपना मानते हैं। और, उसी के माध्यम से सम्पूर्ण समाज एवं इस भूमि के साथ अपने आप को जुड़ा समझते हैं।

राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना के संबंध में श्री मनमोहन वैद्य के उपर्युक्त तर्कसंगत और सुस्पष्ट विचारों की अभिव्यक्ति के पश्चात् कुछ उल्लेख करने को शेष नहीं बचता।

राष्ट्र का वर्तमान स्वरूप

राष्ट्रीय चेतना को राजनीति से विलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयता और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजा राष्ट्र का नियंत्रक होता है। राष्ट्र और राष्ट्र के निवासियों तथा राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का दायित्व राजा पर होता है। पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि पहले राज्यों की अवधारणा हुआ करती थी और राज्यों का प्रमुख राजा होता था। प्रजा राजा की जयजयकार करती थी। राजा के राज्य पर आक्रमण होते थे। इन आक्रमणों के विभिन्न कारण हुआ करते थे— बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। पराजित राजा के राज्य पर विजेता का अधिकार हो जाता था। पराजित राजा से आबद्ध प्रजा की निष्ठा विजेता राजा की जय-जयकार करने लगती थी।

भारत राष्ट्र का अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है। परन्तु यह गौरव खंड-खंड विभक्त रहा। वाह्य आक्रान्ताओं ने यहाँ पर हमले किये, राज्यों पर शासन किया, परन्तु वे इसे न तो एक राष्ट्र के रूप में प्रदान कर सके और न ही भारतीय जनता के मानस में राष्ट्रीय चेतना जाग्रह हो सकी।

राष्ट्र चिह्न :

राजतंत्र में प्रत्येक राजा की मोहर होती थी, जिसे राजाज्ञाओं, आदेशों, सनदों आदि पर लगाया जाता था। इन मोहरों पर उस राज्य का राजचिह्न अंकित होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् अशोक चिह्न को भारत का राष्ट्रीय चिह्न स्वीकार किया गया। यह चिह्न भारत राष्ट्र की गरिमा और गौरव का प्रतीक है।

सारनाथ में मिली सम्राट अशोक की लाट पर यह चिह्न उत्कीर्ण है। इसमें एक पट्टी पर चार शेर हैं।

परन्तु चौथा शेर छुपा हुआ है। इसके नीचे गोल आधार है। इस आधार पर बायीं ओर दौड़कता हुआ अश्व तथा दायीं ओर एक सांड बना हुआ है। दोनों के मध्य एक चक्र है जिसमें चौबीस तीलियाँ हैं। इस प्रतीक के नीचे पट्टी पर देवनागरी में 'सत्यमेव जयते' उत्कीर्ण है।

राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में ध्वज अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। परन्तु ध्वज को जलाने और फाड़ने की भी अनेक घटनाएँ देश में घटित हुई हैं। जयपुर से पचास किलोमीटर दूर बिचून गाँव के शासकीय विद्यालय में 26 जनवरी 2016 को ध्वजारोहण के समय एक समुदाय विशेष के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। यह कृत्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अपराध ही नहीं, राष्ट्रद्रोह है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को मृत्युदण्ड से कम दण्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, जैसा राजतंत्र में होता था।

देश में परिस्थितियाँ विषम होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना की परंपरागत परिभाषा और स्वरूप पर प्रश्नचिह्न लग गया है? यह प्रश्न चिह्न 1962 के युद्ध के समय ही निर्मित हो चुका था, जब भारत की कम्युनिष्ट पार्टियों ने राष्ट्रहित का त्याग कर विचार धारा के आधार पर चीनी आक्रमण का समर्थन किया था। "1962 का युद्ध हुआ और इस भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए चीन सरकार का समर्थन किया। वामपंथियों ने यह दावा किया कि— यह युद्ध नहीं बल्कि यह एक समाजवादी और एक पूँजीवादी राज्य के बीच का एक संघर्ष है। कलकत्ता में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बंगाल के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने तब चीन का समर्थन करते हुए कहा था— "चीन कभी हमलावर हो ही नहीं सकता (China cannot be the aggressor) " ज्योति बसु के समर्थन में तब लगभग सारे वामपंथी एक हो गये थे। सभी वामपंथियों का गिरोह इस युद्ध का तोहमत तत्कालीन भारत सरकार के नेतृत्व की कट्टरता और उत्तेजना के मत्थे मढ़ रहे थे। कुछ वामपंथी थे जिन्होंने भारत सरकार का पक्ष लिया, उनमें एस.ए.डांगे (श्रीवाद अमृत डांगे) प्रमुख थे। लेकिन डांगे के नाम को छोड़ दें तो अधिकांश वामपंथियों ने चीन का समर्थन किया। ई.एम.एस. नम्बदिरी पाद, ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजी के अलावा कुछ प्रमुख नाम जो चीन के समर्थन में नारे लगाने में जुटे थे, उनमें बी.टी. रणदिवे, पी.सुंदरैया, पी.सी. जोशी, बसवापुन्नैया शामिल हैं। बंगाल के वामपंथी तो भारत चीन युद्ध के समय खबरिया चैनलों की तर्ज पर सारी सूचनाएँ भेदिये का काम कर रहे थे। युद्ध से बुरी तरह टूटने के बावजूद वामपंथी मोह में फंसे नेहरू ने इन देशद्रोहियों को फाँसी पर लटकाने के बजाय सभी गद्दारों को जेल भेजने का काम किया।"

उपर्युक्त उद्धरण राष्ट्र, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति जैसे शब्दों की निष्पक्ष व्याख्या की मांग करता है।

यह विडंबना ही कि राष्ट्रविरोधी कृत्य करने वाले ये वामपंथी राजनेता न केवल राष्ट्र की मुख्य धारा में बने रहे अपितु इन्होंने संविधान की शपथ लेकर राज्य भी किया और राष्ट्रध्वज को सम्मान भी किया।

आज ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का अस्तित्व नगण्यप्राय है। पश्चिमी बंगाल में वामदल अंतिम सांसे ले रहा है। मात्र एक राज्य केरल में इस दल की सरकार है।

राष्ट्रचिन्हों के अपमान की सर्वाधिक घटनाएँ जम्मू कश्मीर में घटित हुईं। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, परन्तु पाकिस्तान उसे हड़पना चाहता है। मुसलिम बहुल कश्मीर में धार्मिक भावनाएँ भड़काकर पाकिस्तान भारत में आतंकी की कार्यवाइयाँ कर रहा है। यह क्रम बँटवारे के समय अर्थात् 1947 से ही चल रहा है। पाकिस्तान भारत में अलग हुआ एक मजहबी खण्ड राष्ट्र है जो दुनिया में इस्लाम का झण्डाबरदार, पैरोकार तो बनना चाहता है, किन्तु नफरत की आँधी में अपनी ही मातृभूमि से एक और इस्लामी राष्ट्र बांग्लादेश के उदय को नहीं रोक पाता है। बांग्लादेश के रूप में अपने विखण्डन की खीज मिटाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में हर बात मात खाई है। कारगिल में घुसपैठियों को भारत के विरुद्ध लड़ा कर भी पाकिस्तान भारत से हार चुका है। अतः अब पाकिस्तान ने आतंकवाद के रूप में भारत से छद्म युद्ध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इस्लाम का आश्रय लेकर बांग्लादेश को भी धीरे-धीरे भारत का विरोधी बनाता जा रहा है, जिसकी मुक्ति और उदय के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। भारतीय समाज का एक वर्ग सोचता है कि यदि पड़ोसी राष्ट्र हमारे साथ अनुकूलता का व्यवहार नहीं करता है और हमारे देश में आतंकी गतिविधियाँ जारी रखता है तो हमें उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना चाहिए, सेना को खुली छूट देना चाहिए, किन्तु आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत द्वारा परमाणु हथियार सम्पन्न पाकिस्तान पर हमला करना स्वयं के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा।

राष्ट्र की अखण्डता के आंतरिक खतरे

राष्ट्र की एकता और अखण्डता को केवल शत्रु राष्ट्रों से ही खतरे नहीं हैं अपितु आंतरिक विजातीय तत्त्व भी राष्ट्र की शक्ति को शिथिल कर रहे हैं। इन विजातीय तत्त्वों में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषायी विवाद, जातिगत आरक्षण जैसे अनेक बिंदु शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक प्रधान तत्त्व है साम्प्रदायिकता।

भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मावलंबियों को साथ रहने की और अपने विकास करने की पूरी छूट है। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन जरा हम आजादी से अब तक के हालात पर गौर फरमाएं तो हमें पता चलेगा किस साम्प्रदायिकता की भयंकर आग में लाखों लोग काल-कबलित हो चुके हैं। करोड़ों की सम्पत्ति खाक हो चुकी है। लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों

औरतें विधवा हो चुकी हैं। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के झगड़े ने इन साम्प्रदायिक शक्तियों को फलने-फूलने का अवसर दिया है। हमारा चिर-परिचित पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान प्रसन्न होकर अपने पैसे खर्च कर रहा है उसने यह सोच लिया है कि हम भारत को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। चूंकि पाकिस्तान की पैदाईश ही साम्प्रदायिकता की बुनियाद पर हुई थी, तब उससे हम और अपेक्षा कर सकते हैं। आजादी के समय हमारे देश के कर्णधारों ने समझा था कि बंटबारे से साम्प्रदायिकता का यह शैतान सदा-सदा के लिए दफन हो जायेगा, लेकिन उनकी यह धारणा निर्मूल साबित हुई।

राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए आतंकवाद भी सबसे बड़ा खतरा है। यह राष्ट्र के विकास, शांति और एकता में सबसे बड़ा बाधक तत्त्व है। यद्यपि आतंकवाद से समूचा विश्व त्रस्त है और यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। तथापि भारत इससे सर्वाधिक प्रभावित है। आतंकवादी संगठनों ने अतीत में पूर्वोत्तर भारत, पंजाब व जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अब भी नक्सली आंदोलन छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश एवं झारखण्ड में चल रहे हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखण्डता को दुर्बल कर रहे हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्र की अवधारणा राष्ट्र चेतना, राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद आदि को समझने का प्रयास किया गया है। क्योंकि डॉ. रमेश पोखरिया के काव्य में राष्ट्रीयता चेतना के शोधात्मक कार्य के लिए इन बिन्दुओं को गहराई समझना आवश्यक है।

राष्ट्रीय चेतना से व्यापक अर्थ का बोध होता है जिसमें राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा, राष्ट्र का गौरव-गान, राष्ट्र का परिवेश, राष्ट्र का उन्मेष और राष्ट्र के प्रति उस देश के नागरिकों की समग्र सोच और अनुभूति समाहित होती है। कतिपय राष्ट्रवादी चिंतक राष्ट्रीय चेतना का अर्थ संकीर्ण सोच के अंतर्गत करते हैं। इनके अनुसार राष्ट्रीय चेतना केवल वह है जिसमें राष्ट्र की गौरव गाथा और वीरता के भाव भरे हैं। यह भावना राष्ट्रीयता को संकीर्ण करने का प्रयास मात्र है।

राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। 'राष्ट्र' शब्द का प्राचीन उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में मंत्रकार कहता है कि— आत्मज्ञानियों ने विश्व कल्याणार्थ सृष्टि के प्रारंभ में ही दीक्षा ली और तप किया। इससे राष्ट्र राष्ट्र बना और राष्ट्रीय बल तथा ओज प्रकट हुए। अतः समस्त बुधजन इस राष्ट्र की सेवा करें, इसे नमन करें :-

“भद्रं इच्छन् ऋषयः स्वर्विदः। तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे।
ततो राष्ट्रं बलं अजश्च जातम्। तदस्मै देवाउपसं नमस्तु।।”

देश, राज्य और राष्ट्र शब्दों में मूलभूत अंतर है। इनके अंग्रेजी रूपान्तर क्रमशः Country, State और Nation हैं। देश भौगोलिक अवधारणा है, 'राज्य' राजनैतिक अवधारणा है और राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से जितना अधिक जुड़ा होता है, वह उतना ही राष्ट्रीय होता है। भाषा, साहित्य, पर्व, त्यौहार, रीतिरिवाज, परम्पराएं, वेशभूषा, खान-पान – यही संस्कृति के अंग-प्रत्यंग हैं। इनकी समृद्धि, इनका सम्मान तथा इनका संरक्षण— राष्ट्रीयता की पहचान है। प्रख्यात लेखक श्री श्रीधर पराड़कर भी मानते हैं कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। वे लिखते हैं कि— 'हिन्दुस्तान में राष्ट्र व राज्य अलग-अलग माने गए हैं। राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई होने के कारण एक है जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कई हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से राज्य अलग-अलग होते हुए भी सांस्कृतिक धरातल पर राष्ट्र एक रह सकता है। तभी तो हिन्दुस्तान में अलग-अलग राज्य थे, फिर भी सदैव से आसेतु हिमालय एक राष्ट्र के रूप में जाना गया। राष्ट्रीयता के दो रूप हैं, राजसत्ताजन्य संकीर्ण राष्ट्रीयता और संस्कृतिजन्य विशद राष्ट्रीयता। राजसत्ताजन्य संकीर्ण राष्ट्रीयता पाश्चात्य चिन्तन की देन है। संस्कृतिजन्य राष्ट्रीयता भारतीय चिन्तन की देन है।

आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना पश्चिम के राष्ट्रवाद से प्रारंभिक प्रेरणा ग्रहणकर, भारत के सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में एक विशेष आदर्शवादी रूप धारण कर विकसित हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक महान जीवन-दृष्टाओं के कारण जो एक सांस्कृतिक नवोत्थान की वृहद् प्रेरणा देश के मानस को मिली थी जिससे अपने अतीत के गौरव के प्रति लोकमन उदबुद्ध हो सका। उसके प्रकाश में हमारी राष्ट्रीय भावना ने एक अत्यंत व्यापक, संस्कृत तथा मानवतावादी रूप ग्रहण किया। महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आंदोलन तथा विश्व मंगलमय मौलिक रूप ने देश के जन-मानस को एक व्यापक और भौमिक सांस्कृतिक प्रेरणा दी। इसी विराट राष्ट्रवादी मानवतावादी भावना ने हमारे प्राचीनतम सांस्कृतिक स्रोतों को युग के अनुरूप नवीन रूप देकर भारतीय साहित्य में वाणी पाई है। विभिन्न देशी-विदेशी विद्वानों ने राष्ट्र को अपने-अपने मत और मति के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः देश शब्द का प्रयोग 'राष्ट्र' के रूप में किया जाता है। परन्तु तात्त्विक रूप से दोनों भिन्न हैं। देश दृश्यमान है जबकि राष्ट्र की संकल्पना दृश्यमान नहीं है। यह भारतीय अवधारणा है। यूरोपीय विचारधारा के अनुसार— राष्ट्र का निर्माण ऐसे लोगों के समूह से होता है जिनका इतिहास, पंथ और भाषा समान हो। इसके लिए वहाँ के लोगों का अपनी भूमि और अपने राजा के लिए समर्पण का भाव हो।

राष्ट्र के संबंध में उपर्युक्त अवधारणा के उदय के कुछ कारण थे। "मध्यकाल में राज्य का स्वरूप

यूरोपीय था। समस्त ईसाई जगत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई माना जाता था और सिद्धान्ततः उसका शासन पोप और सम्राट दोनों के अधीन था। धार्मिक क्षेत्र में पोप व राजनीतिक क्षेत्र में राजा प्रमुख माना जाता था, किन्तु कालांतर में पोप राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। अतः आधुनिक युग के आगमन के साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी। राजतंत्रों की स्थापना होने के साथ इस युग में राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हुआ।”

संदर्भ सूची

1. अथर्ववेद (टीका) टीकाकार : पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, 19.41.1 पृ 38 काण्ड 18, शांतिकुंज हरिद्वार, संस्क. 2000
2. इंगित, सम्पा0 : जगदीश तोमर, पृ0 97 फरवरी 2007, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य
3. आधुनिक पाश्चात्य इतिहास की प्रमुख धाराएँ : डॉ. ए.के. मित्तल, पृ0 6, साहित्य भवन आगरा, 1991
4. राष्ट्रजीवन की दिशा : पं. दीनदयाल उपाध्याय; पृ0 37, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ
5. भारतीय राष्ट्रवाद ; स्वरूप एवं विकास : संपा0 डॉ. शिवकुमार शर्मा ; पृ0 108, संकल्प प्रकाशन, 1569/14 नई बस्ती, बक्तौरीपुरवा, नौबस्ता, कानपुर
6. राजनीति शास्त्र के विभिन्न वाद : ए.सी. अग्रवाल, पृ0 268, किताब घर ग्वालियर
7. वही ; पृ0 211
8. भारतीय राष्ट्रवाद ; स्वरूप एवं विकास : डॉ. शिवकुमार शर्मा ; पृ0 370
9. पत्रिका, ग्वालियर दिनांक 20/08/2016 से साभार
10. 1857 का स्वातंत्र्य समर : विनायक दामोदर सावरकर ; पृ0 38-43, प्रभात पेपरबेक्स, आसफ अली रोड नई दिल्ली, संस्क0 2013
11. अमर उजाला कानपुर, 27 जनवरी 2016
12. रचना पत्रिका संपा0— सुरेन्द्र बहादुर गोस्वामी, पृ0 76, सितंबर-अक्टू 2016, म0प्र0 हिंदी ग्रंथ अकादमी, बाणगंगा चौराहा— भोपाल म0प्र0
13. दैनिक भास्कर भोपाल 03/09/2016 पृ0 12 पर प्रकाशित डॉ0 वेदप्रताप वैदिक के आलेख से साभार।
14. साम्प्रदायिकता, आतंकवाद एवं मानवाधिकार : चुनौतियाँ और समाधान : सम्पा0— प्रो0 शिखरचन्द जैन, पृ0 86, शास0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्कृष्टता संस्थान, मुरैना म0प्र0